डॉ0 एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–03.02.2013 को सम्पन्न लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्यशाला की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी संधारित।

कार्यवाही :–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित दी जानेवाली सेवाओं के बारे में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी/कर्मचारी से जानकारी प्राप्त की गई। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के संबंध में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं सभी कार्यपालक सहायक से आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से सेवा उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों/समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। तदोपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा हुई :–

1. क्षेत्रीय कर्मचारियों की समस्या

अंचल अधिकारी, दुल्हिनबाजार द्वारा अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों के कमी के कारण आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर जनित मामलों पर शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त करने में हो रही कठिनाई के संबंध में बताया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता, पटना को निदेश दिया गया कि राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापन के संबंध में समीक्षा कर सभी अंचल में तार्किक एवं युक्तियुक्त ढंग से राजस्व कर्मचारियों का पदस्थापन करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस अंचल में इस तरह की समस्या है, वहाँ पर अनुमान्य मामलो में पंचायत सेवक से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

(अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, पटना)

2. जनरेटर की समस्या

अंचल अधिकारी, बेलछी एवं घोसवरी द्वारा जनरेटर कार्यरत नही रहने के कारण आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर हो रही समस्याओं के बारे में बताया गया। आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर जनरेटर सेवा निजी एजेन्सी द्वारा दी जाती है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना को अविलम्ब जनरेटर सेवा दिये जानेवाले एजेन्सी को सेवा उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करने का आदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़/नजारत उप समाहर्त्ता, पटना)

3. आर0टी0पी0एस0 काउन्टर की समस्या

अंचल अधिकारी, घोसवरी द्वारा आर0टी0पी0एस0 काउन्टर नही रहने के कारण हो रही समस्याओं के बारे में बताया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा औचक निरीक्षण के क्रम में मनेर अंचल कार्यालय के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर को दूसरे भवन में स्थानांन्तरित पाया गया तथा आर0टी0पी0एस0 काउंटर स्थानान्तरित करने की सूचना तथा नये आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर बोर्ड/होर्डिंग नहीं लगा हुआ पाया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़/दानापुर को आर0टी0पी0एस0 काउन्टर व्यवस्थित करने का निदेश दिया गया तथा नियमानुसार सभी आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर होर्डिंग/बैनर अधिसूचित सेवाओं का नाम, काउंटर खुलने का समय, सेवा प्रदान करने का समय तथा प्रमाण पत्र वितरित करने का समय आदि का विधिवत सूचना अंकित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़/दानापुर, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी पटना)

4. वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन संबंधी मामलों के निष्पादन की समस्या

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर द्वारा बताया गया कि दानापुर प्रखण्ड अंतर्गत तीन नगर निकाय दानापुर निजामत, खगौल एवं छावनी क्षेत्र है। आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर प्राप्त होनेवाले शहरी क्षेत्र

के पेंशन संबंधी मामलों की जाँच हेतु संबंधित नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाता है, लेकिन तय समय सीमा के अंदर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जा रहा है। इस कारण शहरी क्षेत्रों के कुछ पेशन संबंधी मामलो का समय सीमा के अंदर निष्पादन नही हो पा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से सभी कार्यपालक पदाधिकारी की बैठक बुलाकर पेंशन संबंधी मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर)

5. बंडल में प्राप्त होनेवाले आवेदन संबंधी समस्या

प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, फुलवारीशरीफ द्वारा बताया गया कि जन–प्रतिनिधियों द्वारा बंडल में आवेदन आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर जमा किये जाते है। साथ ही जमा नहीं लेने पर विरोध / गाली–गलौज / धमकी / मारपीट किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर कार्यरत कर्मियों को निदेश दिया गया कि बंडल में प्राप्त होनवाले आवेदन को स्वीकार नही किया जाय, साथ हीं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को भी निदेशित किया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर एक आवेदक का एक ही आवेदन प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें। ऐसे मामले को संबधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी विशेष रूचि लेकर निष्पादित करेंगे।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी / सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक एवं सभी कार्यपालक सहायक, पटना जिला)

6. उपस्कर की समस्या

प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, फुलवारीशरीफ द्वारा बताया गया कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर निष्पादित आवेदनों को रखने एवं कार्य करने हेतु उपस्कर (यथा–अलमीरा, कुर्सी, टेबूल इत्यादि) की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 में प्राप्त होनेवाले आवंटन से नियमानुसार उपस्कर का क्रय कर आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ)

7. दाखिल–खारिज की समस्या

अपर समाहर्त्ता, पटना द्वारा बताया गया कि आर0टी0पी0एस0 से अलग लोक अदालत में भी दाखिल–खारिज संबंधी नये मामले प्राप्त कर निष्पादन किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि दाखिल–खारिज के सभी मामले आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से ही निष्पादित किये जाएगें। लोक अदालत में ऐसे मामले भेजे जाए, जो पूर्व से विवादित हो तथा उभय पक्ष उसे लोक अदालत में ले जाने हेतु सहमत हो।

(अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, पटना / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता / सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला)

8. दाखिल–खारिज के अस्वीकृति संबंधी मामले के संबंध में

पटना सदर / फुलवारीशरीफ / दानापुर अंचल के निष्पादित मामलों के समीक्षा के उपरान्त यह तथ्य सामने आया कि दाखिल–खारिज के निष्पादित मामलों में अस्वीकृति के मामले अधिक है। पूर्व में भी इस कार्यालय के ज्ञापांक–2724 / स्था0 दिनांक–13.09.2012 द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना जिला को दाखिल–खारिज के अस्वीकृत मामलो के संबंध में समीक्षा कर जाँच रिपोर्ट भेजने हेतु आदेश दिया गया था, लेकिन जाँच प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को पटना सदर अंचल, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर को फुलवारीशरीफ अंचल एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर को दानापुर अंचल कार्यालय में दाखिल–खारिज के अस्वीकृत मामलों से सबंधित अभिलेखों का जाँचकर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर / दानापुर एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर)

9. आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर मारपीट की समस्या

नौबतपुर के प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक द्वारा बताया गया कि इस अंचल में अंचल गार्ड नही रहने के कारण आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर जनता द्वारा बराबर हंगामा/गाली–गलौज किया जाता है। पूर्व में भी बिहटा अंचल, मसौढ़ी अंचल, फुलवारीशरीफ अंचल के आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर जनता द्वारा तोड़–फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी संबंधित थाना से समन्वय स्थापित कर आर0टी0पी0एस0 काउन्टर पर कार्य करने वाले कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना सुनश्चित करेंगे। साथ हीं साथ पटना जिला के सभी आर0पी0एस0 काउन्टर पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से भी अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, पटना जिला एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना)

10. स्पष्टीकरण

बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डारक के विलम्ब से आने के कारण, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर द्वारा कार्यपालक सहायकों का मानदेय भुगतान समय से नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने का एवं उनका वेतन स्थगित रखने का आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही साथ सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, पटना जिला द्वारा कार्यशाला में उपस्थित नही होने के कारण उनसे भी स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। मो0 इमरान, कार्यपालक सहायक, सम्पतचक द्वारा कार्यशाला में असंगत एवं सामान्य समस्या उठाने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– स्थापना उप समाहर्त्ता, पटना)

11. E-mail से पत्र भेजने/प्राप्त करने की व्यवस्था :–

जिला स्तर से निर्गत होनेवाले पत्रों के तामिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त होने वाले पत्रों में होनेवाले विलम्ब की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी के लिए E-mail Address खोलने की कार्रवाई जिला आई0टी0 प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। साथ ही सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय अंतर्गत उपलब्ध संसाधन से स्कैनर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगें ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों से निर्गत होनेवाले पत्रों का अदान–प्रदान भी E-mail के माध्यम से हो सके। प्रखण्ड स्तर पर E-mail से प्राप्त होनेवाले पत्रों को यथास्थान तामिला हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी होगें। नोडल पदाधिकारी के रूप में E-mail से प्राप्त होनेवाले पत्रों के विवरण से संबंधित एक पंजी संधारित करना सुनिश्चित करेगें तथा संबंधित पत्र का पूरा ब्यौरा भी उस पंजी में दर्ज करेगें। जिला आई0टी0 प्रबंधक जिला से निर्गत होनेवाले पत्रों को स्कैन कर सभी संबंधित कार्यालय को E-mail करना सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी एवं जिला आई0टी0 प्रबंधक, पटना)

अंत में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर निष्पादित नही होनेवाले मामलों की संख्या अधिक होने के कारण क्षोभ व्यक्त किया। साथ ही उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि 20 फरवरी, 2013 के बाद सभी लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। उसके बाद अगर कोई तय समय सीमा के अंदर निष्पादित नही होने का मामला प्रकाश में आता है तो संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक XLI/02/13-418 / स्था0, दिनांक 18/2/13

प्रतिलिपि : सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, पटना / अपर जिला दण्डाधिकारी (सामान्य) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना जिला / जिला अवर निबंधक, पटना / वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना / जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना / जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना / नजारत उप समाहर्त्ता, पटना / सभी वरीय उप समाहर्त्ता, पटना जिला / प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, पटना / सभी नगर परिषद्, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना जिला / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला / सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0 प्रबंधक, पटना / सभी सूचना प्रौद्योगिकी सहायक, पटना जिला एवं सभी कार्यपालक सहायक पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित.।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पटना का सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।